हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व त... जो इस हु... में ज...

25/1/18 वकुलाए फरिकैन उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बार वादी मुताबिक तजवीज कायम रिपोर्ट तहसीलदार हनुमानगढ़ दिनांक 22/1/18 अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश बरूरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ (५)

पीठासीन अधिकारी :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

1. सुखदेवसिंह पुत्र प्रतापसिंह उम्र 53 वर्ष जाति कम्बोज सिख निवासी 3 एसएनएम तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—–वादीगण

बनाम

1. हरजिन्द्रसिंह उर्फ हरविन्द्रसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 3 एसएनएम तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. जगीर कौर पत्नि प्रतापसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 3 एसएनएम तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. बलविन्द्र कौर पुत्री प्रतापसिंह पत्नि गुरदीपसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 2 एसटीआर तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
4. पूर्णसिंह पुत्र जगतसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 3 एसएनएम तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. तेजासिंह पुत्र कुलदीपसिंह जाति जटसिख निवासी वागीश कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. निर्मलसिंह पुत्र कुलदीपसिंह जाति जटसिख निवासी वागीश कॉलोनी हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ।
7. दर्शनसिंह पुत्र कुलदीपसिंह जाति जटसिख निवासी रेलवे मैडिकल कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. बलदेवसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 18 एचएमएच तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. निर्मलसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 18 एचएमएच तहसील व जिला हनुमानगढ।
10. जसवीरकौर पत्नि छिन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 38 आरबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
11. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

———प्रतिवादीगण

वाद संख्या :– 341 सन् 2016
दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीए

उपस्थित :–

1. श्री शमशेरसिंह संधू अधिवक्ता — प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7

निर्णय — दिनांक :25.01.2018

उक्त अनवानी प्रकरण में दिनांक 29.11.2017 को न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 का काउंटर क्लेम स्वीकार कर पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की पालना मे पत्रावली में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा दौराने बहस विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी कर विभाजन हेतु निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार (भू.अ.) हनुमानगढ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रकरण मे वादी द्वारा दावा नोटप्रेस किये जाने के कारण प्रतिवादीगण सं. 5 ता 7 का काउंटर क्लेम स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री की गई जिसके संदर्भ मे विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार हनुमानगढ़ से प्राप्त हुआ है। विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नही की गई है तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव विभाजन हेतु निवेदन किया गया। इसलिए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः पत्रावली में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि चक 3 एसएनएम के खाता संख्या 56/50 के प.न. 117/273 मु.न. 21 कि.न. 18, 23/0.506 है0 नहरी भूमि का प्रतिवादी सं. 5 तेजासिंह पुत्र कुलदीपसिंह खातेदार काश्तकार है, चक 3 एसएनएम के खाता सं 56/50 के प.न. 117/273 मु.न. 21 के कि.न. 17, 24/0.506 है0 नहरी भूमि का प्रतिवादी सं. 6 निर्मलसिंह पुत्र कुलदीपसिंह खातेदार काश्तकार है, चक 3 एसएनएम के खाता सं. 56/50 के प.न. 117/273 मु.न. 21 कि.न. 16, 25/0.506 है0(नहरी 0.456 है0,गै.मु.खाला0.050 है0) नहरी मय गै.मु भूमि का प्रतिवादी सं. 7 दर्शनसिंह पुत्र कुलदीपसिंह खातेदार काश्तकार है। उक्तानुसार खाते अलग कायम किये जाकर राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावें। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तादादी 100/–रू0 का स्टाम्प तकमीलन शामिल फाईल करवाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

सहायक कलैक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

1. सुखदेवसिंह पुत्र प्रतापसिंह उम्र 53 वर्ष जाति कम्बोज सिख निवासी 3 एराएनएम तहसील व जिला हनुमानगढ।

––वादीगण

बनाम

1. हरजिन्द्रसिंह उर्फ हरविन्द्रसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 3 एसएनएम तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. जंगीर कौर पत्नि प्रतापसिंह जाति कम्बोज सिख निवारी 3 एसएनएम तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. बलविन्द्र कौर पुत्री प्रतापसिंह पत्नि गुरदीपसिंह जाति कम्बोजसिख निवारी 2 एसटीआर तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
4. पूर्णसिंह पुत्र जगतसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 3 एसएनएम तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. तेजासिंह पुत्र कुलदीपसिंह जाति जटसिख निवासी वागीश कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. निर्मलसिंह पुत्र कुलदीपसिंह जाति जटसिख निवासी वागीश कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. दर्शनसिंह पुत्र कुलदीपसिंह जाति जटसिख निवासी रेलवे मैडिकल कॉलोनी हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. बलदेवसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 18 एचएमएच तहसील व जिला हनुमानगढ।
9. निर्मलसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 18 एचएमएच तहसील व जिला हनुमानगढ।
10. जरावीरकौर पत्नि छिन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 38 आरबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
11. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

–––प्रतिवादीगण

वाद संख्या :– 341 सन् 2016 निर्णय दिनांक 25.01.2018

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीए

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आरएएस समक्ष अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 5 ता 7 श्री शमशेरसिंह संधू की उपस्थिति मे निर्णय प्रस्तुत होने पर वाद प्रतिवादीगण सं. 5 ता 7 अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि पत्रावली में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद प्रतिवादीगण सं. 5 ता 7 अन्तिम डिक्री किया जाता है कि चक 3 एसएनएम के खाता संख्या 56/50 के प.न. 117/273 मु.न. 21 कि.न. 18, 23/0.506 है0 नहरी भूमि का प्रतिवादी सं. 5 तेजासिंह पुत्र कुलदीपसिंह खातेदार काश्तकार है, चक 3 एसएनएम के खाता सं. 56/50 के प.न. 117/273 मु.न. 21 के कि.न. 17, 24/0.506 है0 नहरी भूमि का प्रतिवादी सं. 6 निर्मलसिंह पुत्र कुलदीपसिंह खातेदार काश्तकार है, चक 3 एसएनएम के खाता सं. 56/50 के प.न. 117/273 मु.न. 21 कि.न. 16, 25/0 506 है0(नहरी 0.456 है0,गै.मु.खाला0.050 है0) नहरी मय गै.मु. भूमि का प्रतिवादी सं. 7 दर्शनसिंह पुत्र कुलदीपसिंह खातेदार काश्तकार है। उक्तानुसार खाते अलग कायम किये जाकर राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावें। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तादाद 100/–रू0 का स्टाम्प तकमीलन शामिल फाईल करवाया जावे। आज दिनांक 25.01.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

प्राथमिक डिकी

(6)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवम उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ

बईजलास :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

अनवानः–

1– सुखदेव सिंह पुत्र प्रताप सिंह उम्र 53 वर्ष जाति कम्बोज सिंख निवासी 3 एस.एन.एम. तहसील व जिला हनुमानगढ।

–वादी

बनाम

1– हरजिन्द्र सिंह उर्फ हरविन्द्र सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति कम्बोजसिंख निवासी 3 एस.एन.एम. तहसील व जिला हनुमानगढ।

2–जंगीर कौर पत्नि प्रताप सिंह जाति कम्बोजसिंह निवासी 3 एस.एन.एम तहसील व जिला हनुमानगढ।

3–बलविन्द्र कौर पुत्री प्रताप सिह पत्नि गुरदीपसिंह जाति कम्बोजसिंख निवासी 2 एस.टी.आर. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

4–पूर्णसिंह पुत्र जगतसिंह जाति कम्बोज सिंह निवासी 3 एस.एन.एम. तहसील व जिला हनुमानगढ।

C.C.

5–तेजा सिंह पुत्र कुलदीप सिंह अकवाम जटसिंख निवासी कालोनी हनुमानगढ जंक्शन तहसील एव जिला हनुमानगढ।

6–निर्मल सिंह पुत्र कुलदीप सिंह अकवाम जटसिंख निवासी कालोनी हनुमानगढ जंक्शन तहसील एव जिला हनुमानगढ।

7–दर्शनसिंह पुत्र कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी देलवे मैडिकल कालोनी हनुमानगढ जक्शन तहसीव व जिला हनुमानगढ।

8–बलदेव सिंह पुत्र दलीपसिंह जाति कम्बोजसिंख निवासी 18 एच.एम.एच. तहसील व जिल हनुमानगढ।

9– निर्मलसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति कम्बोजसिंख निवासी 18 एच.एम.एच. तहसील व जिल हनुमानगढ।

10–जसवीर कौर पत्नि छिन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 38 आर.बी. तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर।

11–तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।

–प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ

दिनांक 28/1/17

वाद सख्याः–341 सनः–2016

वाद अर्न्तगत धारा 53,88 आर.टी.ए

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित आर.ए.एस. के समक्ष अभिभाषक वादी श्री खुशप्रीत सिंह संधू एड0 तथा अभिभाषक प्रतिवादीगण की श्री शमशेर सिंह संधू एड0 उपस्थित है प्रतिवादीगण सं0 5 से 7 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ को वादग्रस्त भूमि पर मौका कमीश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि चक नं0 3 एस.एन.एम के खाता सं0 56/50 खाता प्रताप सिंह आदि मे दर्ज 3.542 है0 जमाबंदी संवत 2072–75 कृषि भूमि मे से प्रतिवादीगण 5 से 7 के नाम दर्ज 1.518 है0 हक व हिस्सानुसार अच्छी मे से अच्छी व खराब मे से खराब भूमि के हिसाब से राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए रास्ता व खाला की व्यवस्था को ध्यान मे रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया जावे ।

उपखण्डाधिकारी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी

हनुमानगढ

Not Official Copy - Not Official

Scanned by CamScanner